संख्या– 568 /5–1–2014–9(163)/09

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 19 सितम्बर, 2014

विषयः– 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा के संचालन के सापेक्ष व्ययभार को वहन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–29फ/10(21)14/346, दिनांक 28.7.2014 का संदर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–32 के लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति–110– अस्पताल तथा औषधालय–03–108 ई0एम0टी0एस0 "समाजवादी स्वास्थ्य सेवा" का संचालन–42–अन्य व्यय के अंतर्गत आयोजनागत मद में रू0 7700.00 लाख (कुल रूपये सतहत्तर करोड़ मात्र) की प्राविधानित धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्नांकित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैः–

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय–समय पर वित्त एवं उद्योग विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी मद में किया जायेगा।

2. स्वीकृति वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.7.2014 के अधीन होगी तथा धनराशि का आहरण एकमुश्त के रूप में नहीं किया जायेगा और न ही स्वीकृत धनराशि को किसी बैंक खाते आदि में जमा किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का व्यय के फलस्वरूप नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

4. उपर्युक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण/वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को नियमित रूप से प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जायेगा।

5. स्वीकृत धनराशि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आहरित करके मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को हस्तगत करायी जायेगी।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

7. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का वहन वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–32 के लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति–110– अस्पताल तथा औषधालय–03–108 ई0एम0टी0एस0 "समाजवादी स्वास्थ्य सेवा" का संचालन–42–अन्य व्यय के अन्तर्गत आयोजनागत मद से किया जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई0–3–2083/दस–2014, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( देव प्रताप सिंह )
विशेष सचिव।

संख्या–568 (1)/5–1–2014–9(163)/09, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त मण्डलीय कार्यकम प्रबन्धक, जिला कार्यकम प्रबन्धन इकाई, एन0आर0एच0एम0, उ0प्र0।
10. वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/एन0आर0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
11. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. सहायक निदेशक, सूचना, उ0प्र0, शासन।
13. कम्प्यूटर सेल प्रभारी, एन0आर0एच0एम0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर डाउनलोड करायें।
14. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3
15. गार्ड फाईल/समन्वय सहायक।

आज्ञा से,

( बाबूराम )
उप सचिव।